

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कानून

भारत सरकार के आरोग्य और परिवार कल्याण पत्रालय ने 1995 से विस्तृत तंबाकू नियंत्रण कानून बनाने का काम शुरू किया। इसको संसदीय मानव सक्षम विकास समिति के सिफारिस की ददन मिली, और 30 अप्रैल 2003 में यह बिल लोकसभा में पास हुआ।

सिगरेट और अन्य तंबाकू पदार्थ कायदा 2003 के मुख्य विधान इस प्रकार हैं (विज्ञापनों पर प्रतिबंध, व्यापार एवं बाणिज्य उत्पादन पूर्वता की नियम व्यवस्था)

- 1- तंबाकू पदार्थों के सीधे और अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर प्रतिबंध।
- 2- खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तंबाकू उत्पादकों द्वारा होने वाले प्रायोजन पर रोक।
- 3- सार्वजनिक स्थल जैसे सभाग्रह, रेलवे प्रतीकालय, अस्पताल, भोजनालय, सरकारी कार्यालय, न्यायालय, शिक्षण संस्था, ग्रंथालय, सार्वजनिक वाहन व्यवस्था इत्यादि सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने की मनाई।
- 4- 17 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू पदार्थ बेचने पर रोक।
- 5- शिक्षण संस्थाओं के 100 गज की सीमा के अंदर तंबाकू पदार्थ बेचने पर रोक।
- 6- तंबाकू के पैकेटों पर निर्दिष्ट चेतावनी देनी चाहिए और साथ में चित्ररूप चेतावनी भी दे सकते हैं।
- 7- तार और निकोटिन की मात्रा और उनकी अनुमित अधिकतम मात्रा तंबाकू पदार्थों के पैकेटों पर दर्शाना चाहिए।
- 8- कानून तोड़ने वालों को जुर्माना निर्देशित किया गया है।
- 9- यह कायदा पूरे भारत में सभी तंबाकू पदार्थों पर लागू है।

चेतावनी

तंबाकू मुक्त परिसर

तंबाकू सेवन प्रतिबंध अधिनियम 2003 (कोटाप 2003) की धारा 21 के अधीन इस परिसर में धूम्रपान करना अपराध है परिसर में बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटका आदि का सेवन करते हुए जायदा ले जाते हुए पकड़े जाने पर रु० 200.00 तक का आर्थिक दण्ड देना होगा।

आज्ञा से
अवस्थाधिकारी/ कार्यालयध्यक्ष

आज से ही तंबाकू छोड़ने का निरयय करें। तंबाकू नहीं जीवन चुनें। तंबाकू नोटिस को आप अपने-अपने प्रतिष्ठान में आसानी से दिखने वाले भाग में लगाकर, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में योगदान दें।

WARNING/NOTICE TOBACCO FREE CAMPUS

Under Tobacco use Prevention Act 2003 (CTPA-2003) Section 21, smoking in this campus is offense. If caught, using Bidi, Cigarette, Pan Masala, Gutka etc or carrying them fine of Rs 200-00 shall be imposed.

By Order
Manager/Office Superintendent.

Decide to quit tobacco today only CHOOSE LIFE NOT TOBACCO

Above notice can be placed at the prominent place of your office/Business establishment to help in the implementation of "National Tobacco Control Programme."

घालान का प्रारूप

क. नं. _____ क्रमांक _____
सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिबंध और व्यापार एवं बाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003

उल्लंघन करने वाले का नाम एवं पता _____

उल्लंघन का दिन, समय एवं स्थान _____

उल्लंघन का प्रकार _____

उपर्युक्त आधार पर आपको अभियोजित किया जाता है अतः आप दिनांक _____

को _____ बजे माननीय श्री _____

के न्यायालय (पता) _____

समक्ष चुनवाई हेतु उपस्थित हों।

रूपन कर्ता के हस्ताक्षर _____

बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान _____

ह के हस्ताक्षर एवं पता _____

मान जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पता तथा सील _____

पूरा नमूने का घालान फार्म सक्षम अधिकारी अधिकृत विभागों में उपलब्ध कराये गे। कानूनी अनुपालन दृढ़ता के साथ किया जा सके।

CHALLAN FORM

Book No..... Serial No.....
Cigarette and Tobacco product (Ban on Advertisement and business and trading production, supply and distribution trading Act 2003)

1-Name & Address of the offender

2-Day, Time and Place of offense

3-Type of offense

4-Based on the above you are charged to appear on date-----
time-----
in the court of honourable Sri-----Address of court-----
-----for hearing.

Signature of the offender/
L1.Thump impression

Signature of witness and address.

Signature of the officer with address, with seal
issuing the challan.

You may like to keep the copy of the above challan form, for use in the
strongly law enforcement of the Act.

31मई 2011 विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर एन.सी.सी. ऑफीसरों एवं कैडेट्स रैली निकालते हुए। यह रैली सिविल लाइन की भीड़ वाली सड़कों पर निकाली गई। जहाँ अधिकांश सरकारी कार्यालय स्थित हैं।

On 31st May 2011 **World No Tobacco Day** NCC Officers seen with cadets in the rally through the most busy, full of rush road in the civil line area.



31मई 2011 विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर पहली कार्यशाला 11वें एन सी सी बटालियन के कैम्पस में आयोजित की गई



On 31st May 2011 **World No Tobacco Day 1st workshop** organised in the 11th Battalion NCC for cadets & Officers

PLEASE DONATE GENEROUSLY and help SITCAR (Shankar Institute of Cancer Therapy and Research). Your valuable donation will help the following

1. For cancer treatment including surgery, Radiotherapy and Chemotherapy.
2. Cancer education through Swasthya Shiksha Cancer Raksha monthly news letter.
3. Cancer screening and Detection programme & for developing educational awareness posters other material etc.
4. Anti Tobacco and Cancer Awareness, Educational programme.
5. Providing free Cancer Drugs to poor patients.

Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Trust

Registered Indian Societies Act 1860 and 35AC, for 100% Tax relief to donors. E-mail: drssmct@rediffmail.com

The Govt. of India has also permitted the trust to receive overseas contributions under FCRA 1976 vide Registration No. 136570013 you may send your donations to Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Trust Syndicate Bank A/C No. 85202200011711

कैंसर रोगियों को सहायता के लिए अपील Appeal for Donation to cancer Hospital

शंकर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रोगों के एक निर्यात में कैंसर रोगियों को सहायता के साथ कैंसर अस्पताल में उपचारों, भवन निर्माण जैसे माध्यम जुटाने के लिये डॉ. शोला शर्मा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दिया गया धन आभार प्राप्त 35 ट. सी. के अनारिक्त शत प्रतिशत अक्षर से युक्त है। अतः धन निदान विवरण के साथ संस्था के बैंक खातों में सीधे जमा किया जा सकता है।

दानदाता का नाम Donors Name पता Address राष्ट्रियता Nationality

व्यक्तिगत DOB बैंक का नाम Bank Name

पैन नम्बर PAN No चेक/ड्राफ्ट संख्या Cheque/DD No

दिनांक Date

डॉ. शोला शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के खाता संख्या 2868101001590 केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं. 10432258467 बैंक ऑफ बड़ोदा के खाता सं. 07470100002403, पंजाब नेशनल बैंक खाता सं. 1838000103135867 में धन को जमा होने से विधिबद्ध प्रतिलिपि, आभार व बटु प्रमाण पत्र के साथ आपको सेवा में सुन्न प्रेषित कर दी जायेगी।

You are requested to transfer the donation amount in the following bank accounts Canara Bank 2868101001590, SBI 10432258467, Bank of Baroda 07470100002403, PNB 1838000103135867 of Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Trust the receipt will be issued soon after

निवेष्टक : डॉ. एन. के. शर्मा अध्यक्ष एवं ट्रस्टीगण Dr. SK Sharma President & Trustees

डॉ. शोला शर्मा मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट 140, मील पथर, मसानी दिल्ली बाईपास लिंक रोड, मथुरा - 281003

Dr. Sheela Sharma Memorial Charitable Trust, 140 Mile Stone, Masani-Delhi Bye Pass Link Road, Mathura 281003

सम्पर्क - कॉल 09412238817, 09897296804, 0563-2425494



एन0सी0सी0 ऑफिसर, कैडेट्स को तम्बाकू पदार्थों का प्रयोग न करने के लिए शपथ दिलाते हुए



NCC Officer seen with cadets taking oath for not using tobacco products.

कमाण्डिंग आफिसर कर्नल के पी एस गिल एवं डॉ0 एस के शर्मा डाइरेक्टर शंकर कैंसर संस्थान मथुरा रैली को फलेग आउट करते हुए



Commanding officer Col KPS Gill & Dr.S.K. Sharma, Director, Shankar Institute of Cancer seen at Flag out of Rally in Mathura



कार्यशाला, स्वास्थ्य शिक्षा कैंसर रक्षा विभाग, शंकर कैंसर संस्थान व जिला एन्टी टोबैको सेल द्वारा आयोजित की गयी, सिटी मजिस्ट्रेट, सी ओ सिटी, इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भाग लिया कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन श्रीमती सुनीता शर्मा ने किया।



Workshop organised by Swasthya Shiksha Cancer Raksha dept. of Shankar Institute of cancer with Distt Anti Tobacco Cell members, City Magistrate, C.O. City, Inspector of School, CMO participated. Oath was taken for not to use tobacco products. The work shop was conducted by Smt. Sunita Sharma (Chief Co-Ordinator).



एन.सी.सी. ऑफीसर्स व कैडेट्स तम्बाकू के स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्प्रभाव को पट्टिकाओं पर लिखे सन्देशों, स्लोगनों को दिखाते हुए।



कार्यशाला, स्वास्थ्य शिक्षा कैंसर रक्षा विभाग, शंकर कैंसर संस्थान व जिला एन्टी टोबैको सेल द्वारा आयोजित की गयी, सिटी मजिस्ट्रेट, सी ओ सिटी, इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भाग लिया कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन श्रीमती सुनीता शर्मा ने किया।



Workshop organised by Swasthya Shiksha Cancer Raksha dept. of Shankar Institute of cancer with Distt Anti Tobacco Cell members, City Magistrate, C.O. City, Inspector of School, CMO participated. Oath was taken for not to use tobacco products. The work shop was conducted by Smt. Sunita Sharma (Chief Co-Ordinator).

पर होने वाले नों को दिखाते



एन.सी.सी. ऑफीसर्स व कैडेट्स तम्बाकू के स्वास्थ्य दुष्प्रभाव को पट्टिकाओं पर लिखे सन्देशों, स्लोग